

नियोजक / दखलकार / संवेदक / मुख्य नियोजक एवं आम जनमानस को श्रम संसाधन विभाग की ऑनलाइन सेवाएँ उपभोग करने हेतु आवश्यक सूचना

श्रम संसाधन विभाग की Online सेवाएँ :-		
क्र	आधिनियम	सेवा
1	मोटर परिवहन कर्मकार अधिनियम, 1961	1. निबंधन हेतु आवेदन 2. निबंधन प्रमाण पत्र के नवीकरण हेतु आवेदन
2	बौड़ी एवं सिगार कामगार (सेवासर्त) अधिनियम, 1966	1. लाइसेंस हेतु आवेदन 2. लाइसेंस के नवीकरण हेतु आवेदन
3	वाष्पित्र अधिनियम, 1923	1. वाष्पित्र के निरीक्षण हेतु आवेदन 2. वाष्पित्र के निबंधन हेतु आवेदन 3. संचालित वाष्पित्र के Digitization हेतु आवेदन 4. वाष्पित्र नवीकरण के निरीक्षण हेतु आवेदन 5. वाष्पित्र के नवीकरण और निबंधन के अलावा अन्य शुल्क के लिए आवेदन
4	भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण अधिनियम, 1966	1. स्थापना के निबंधन हेतु आवेदन
5	ठेका मजदूर (वि० एवं उ०) अधिनियम, 1970	1. संवेदक का निबंधन 2. निबंधन प्रमाण पत्र का नवीकरण 3. मुख्य नियोजक का निबंधन 4. संसोधन
6	अन्तर-राज्यीय प्रवासी मजदूर अधिनियम, 1970	1. संवेदक के चयन हेतु लाइसेंस 2. लाइसेंस के नवीकरण हेतु आवेदन 3. स्थापना के रजिस्ट्रेशन हेतु आवेदन
7	श्रमिक संघ अधिनियम	1. श्रमिक संघ के निबंधन हेतु आवेदन 2. श्रमिक संघ के वार्षिक विवरणी हेतु आवेदन
8	कारखाना अधिनियम, 1948	1. कारखाना बनाने/विस्तारीकरण के अनुमति हेतु आवेदन 2. कारखाना के निबंधन / लाइसेंस हेतु आवेदन 3. संचालित कारखाना के Digitization हेतु आवेदन 4. कारखाना के लाइसेंस नवीकरण हेतु आवेदन 5. कारखाना के वार्षिकी विवरणी के निबंधन हेतु आवेदन 6. कारखाना के लाइसेंस के हस्तांतरण हेतु आवेदन 7. कारखाना के लाइसेंस में संसोधन हेतु आवेदन 8. कारखाना के बंदी की सूचना हेतु आवेदन
9	बिहार दुकान एवं प्रतिष्ठान अधिनियम, 1953	1. दुकान / प्रतिष्ठान के निबंधन हेतु आवेदन 2. संचालित दुकान / प्रतिष्ठान के Digitization हेतु आवेदन 3. दुकान / प्रतिष्ठान के बंदी की सूचना हेतु आवेदन 4. निबंधन प्रमाण पत्र में संसोधन हेतु आवेदन
10	सभी अधिनियम	1. सभी आवेदन / अनुलग्नको में संसोधन

श्रम संसाधन विभाग के Online सेवाओं को प्राप्त करने की विधि: -
1. सर्वप्रथम http://serviceonline.gov.in वेबसाइट पर जाएँ एवं Browser के Pop-Up Blocker को All Site के लिए Allow कर दें । ↓
2. अगर आप SSDG (http://bihar.gov.in) वेबसाइट के Registered User हैं, तो Forget Password से अपना Password Reset करें अगर आप नये User हैं, तो Register Yourself से Login-ID एवं Password बनाएं अपने Login-ID एवं Password से Login करें ↓
3. सफल Login के पश्चात् Left Menu से Apply for Services पर Click करें और View Services का चुनाव करें आपको Services की List दिखाई देगी, उसमें से उस Service को चुनें जिसके लिए आप Apply करना चाहते हैं ↓
4. Service का चुनाव करने के पश्चात एक फॉर्म आयेगा जिसे ध्यान से भरें, आवश्यक सुधार करें एवं Save Draft करें ↓
5. Form भरने के पश्चात उसमें जरूरी अनुलग्नको (Annexure) को Attach करें एवं Attach Annexure पर Click करें ↓
6. Annexure Attach करने के पश्चात आपका फॉर्म दिखेगा, Annexure List के साथ उसे ध्यानपूर्वक पढ़ लें एवं आवश्यक सुधार कर लें ↓
7. अगर आपका Service Paid है तो Make Payment का Option दिखेगा, उसपर क्लिक करें अगर Service Without Paid है, तो Submit करें और अपना Acknowledgement Download / Print करें ↓
8. आप अपना Payment Online Net Banking के माध्यम से कर सकते हैं ↓
9. Payment करने के पश्चात अपना Acknowledgement Download / Print करके भविष्य में उपयोग के लिए सुरक्षित रख लें ↓
10. License / Certificate बन जाने के बाद आपके Inbox में भेज दिया जायेगा, जिसे आप ServicePlus पर Login करके Download कर सकते हैं ↓
11. समय-समय पर आपको सेवाओं की स्थिति की जानकारी SMS, e-Mail के माध्यम से दी जाएगी, इसके लिए आप Modify Profile द्वारा वैध e-Mail एवं Mobile डालें

नोट: - उपर्युक्त सेवाओं से संबंधित आवेदन केवल Online माध्यम से ही स्वीकार किये जायेंगे | किसी प्रकार का कागजी आवेदन स्वीकार नहीं किया जायेगा | Online Service Help, Citizen Handbook एवं Official Handbook श्रम संसाधन विभाग की वेबसाइट [Http://labour.bih.nic.in](http://labour.bih.nic.in) पर उपलब्ध है| तकनीकी सहायता हेतु श्री पंकज कुमार, Mob: 8083475877, e-Mail: pankaj180690@gmail.com से सम्पर्क करें |